तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.12.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बहस दिनांक 04.12.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया की प्रार्थी के नाम प्रा.पत्र के मद संख्या-2 में अंकित भूमि में से 11 [illegible] यानि 0.875 है० आराजी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा प्रार्थी की माता से प्राप्त किया था, प्रार्थी रकबा ही माता के समय से ही कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी-1 का अब रोही उपयुक्त के किसी जमाबन्दी में कोई रकबा नहीं रहा है। राजस्व कर्मियों से सांठ गांठ कर रोही उपयुक्त जमाबन्दी के ख०नं० 11/5 की 4.301 है० आराजी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। उक्त रकबा की कोई तरमीम नहीं की गई है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अप्रार्थी-1 की खातेदारी निरस्त के प्रा.पत्र पर आदेश दिनांक 05.4.17 में अंकित किया गया है कि अप्रार्थी को उपयुक्त जमाबन्दी के ख०नं० 11/5 (84/11) में 4.301 है० आराजी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं व दिनांक 25.4.17 को जो खातेदारी पट्टा जारी किया है उसमें ख०नं० 11/5 की 4.301 है० आराजी खातेदारी भूमि का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार सूरतगढ़ का उक्त आदेश दिनांक 5/4/17 व खातेदारी पट्टा दिनांक 25.4.17 में विरोधाभास है। अप्रार्थी प्रार्थी को कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि उपयुक्त [illegible] ख०नं० 11/2 = 3.593 है० व ख०नं० 86/11 = 2.530 है० दोनों नम्बरों में कुल 6.123 है० आराजी खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप न करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी नं.1 दिनांक 12.1.18 को EXPARTY की जा चुकी है व एकतरफा की गई। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रति आदेश व खातेदारी पट्टे में जो खातेदारी भूमि दी है वह अलग-अलग है। चूंकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है अतः दावा के निर्णय होने तक अप्रार्थी-1 द्वारा बेदखल किया जाना प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे रोही उपयुक्त जमाबन्दी ख०नं० 11/2 = 3.593 है० व 86/11 = 2.530 है० कुल 6.123 है० खातेदारी भूमि में वाद के निर्णय तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी कार्यवाही हेतु पत्रावली नियत तारीख को पेश हो। आदेश सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.11 16:13:25 IST
Reason: SelfAttested